रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 25, 1967/ज्येष्ठ 4, 1889
No. 298] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 1967/JYAISTHA 4, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May 1967

S.O. 1863.—In exercise of the powers conferred by Section 82-B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoint Shri Niranjan Sarkar, Additional District Judge, Jalpaiguri as Claims Commissioner to deal with, in addition to his own duties, all claims for compensation arising out of the accident on the 11th November, 1966 involving Military Special No. SP 987 between Sivok and Pilanshat stations on the Siliguri—Alipurduar Section of Northeast Frontier Railway. His headquarters will be at Jalpaiguri.

[No. E(O)II66AP1/16]

P. C. MATHEW, Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई 1967

एस० ओ० 1864.—भारतीय रेल अधिनियम (1890 का अधिनियम IX) की धारा 82-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार जलपाईगुड़ी के अपर जिला न्यायाधीश श्री निरंजन सरकार को एतद्द्वारा दावा आयुक्त नियुक्त करती है। अपनी ड्यूटी के

साथ-साथ श्री सरकार क्षतिपूर्ति के उन सभी दावों का निपटारा करेंगे जो 11 नवम्बर 1966 को पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे के सिलिगुड़ी-अलीपुर द्वार खण्ड पर सेवक और पिसान्सहाट स्टेशनों के बीच सैनिक स्पेशल गाड़ी नं० एस० पी० 987 के साथ हुई दुर्घटना से उत्पन्न हुए हैं। उनका मुख्यालय जलपाईगुड़ी में होगा।

[सं० ई०(ओ) II-66 ए० पी० 1/16]

पी० सी० मैथ्यू, सचिव।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967